



JPR5- 926

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER (COMML.)

Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jyoti Nagar, Jaipur – 302005 Tel – 0141-2747041 FAX – 0141 – 2744803

Website: www.jaipurdiscom.com; Email – secommel@jvnl.in

CIN: U40109RJ200SGC016486

No.JPD/SE(C)/C-I/F.

/D.

2374

Dated: 15-02-18

CIRCULAR

Sub: Regarding format of Demand Notice.

It is generally observed that demand notice for electricity connections are being issued by field officers in different proforma. To bring uniformity in the proforma of Demand notice in Discom, a standared proforma has been approved (copy enclosed). All the field officers are directed to ensure issuance of demand notice in the approved profarma. It is also advised to ensure to provide service line free of cost from pole to meter.

All concerned are directed to make strict compliance of above directions.

Encl: Profarma of Demand Notice

By order,

(Anil Gupta)

Superintending Engineer(Comml.)

कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक: स.अ./प.व.स./जेपीडी/प्रे.....

दिनांक.....

मांग-पत्र

सर्व श्री.....

विषय:- विद्युत कनेक्शन के लिए सूचना!

आपका आवेदन पत्र संख्या..... दिनांक..... घरेलू/वाणिज्य/पावर कनेक्शन हेतु 230/440 वोल्ट..... किलोवाट/केवीए के लिए स्वीकृत किया गया है। अतः निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण कर एस्टीमेट एवं सुरक्षा राशि इस कार्यालय में जमा करावें ताकि कनेक्शन देने की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. एस्टीमेट की राशि | 6. मीटर की राशि |
| 2. स्थायी शुल्क | 7. मीटर बॉक्स की राशि |
| 3. सुरक्षा की राशि | 8. सुपरविजन की राशि |
| 4. किरायेदार होने के नाते सुरक्षा राशि | 9. |
| 5. एच.पी./ट्रान्सफार्मेशन चार्ज | 10. कुल राशि..... |

- यदि उपरोक्त राशि का मांग पत्र जारी होने के 30/60 दिन के भीतर जमा नहीं कराया गया तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। (राशि जमा कराने का समय प्रातः 10:00 बजे से 02:00 बजे तक है।) तथा राशि 10000 तक नगद भुगतान व 10000 से अधिक D.D. से स्वीकार किया जायेगा। चैक नहीं लिया जायेगा।
- पुराना कटे हुए विद्युत कनेक्शन/वर्तमान में चल रहे विद्युत कनेक्शन/वी.सी.आर. की बकाया राशि जमा कराने पर ही कनेक्शन दिया जायेगा।
- मीटर बोर्ड/MCB/ELCB इत्यादि सामग्री उपलब्ध कराने पर ही कनेक्शन होगा।
- आवेदित स्थल पर लाईन खींचने में किसी भी विवाद की जिम्मेदारी आपकी होगी।
- पड़ोसी की बाउण्ड्री की स्वीकृति तथा उसके मकान मालिक होने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। तथा स्वयं के मालिकाना हक के दस्तावेज उपलब्ध करावें।
- आवेदित स्थल का पता न मिलने के कारण आपका एस्टीमेट नहीं बनाया जा सका। अतः स्पष्ट एवं पूर्ण पता मय मानचित्र के प्रस्तुत करने पर ही एस्टीमेट बनाने की कार्यवाही की जायेगी।
- आवेदित स्थल पर मकान/दुकान/फैक्ट्री व अन्य किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने के कारण एस्टीमेट नहीं बनाया जा सका।
- कनिष्ठ अभियन्ता रिपोर्ट अनुसार उक्त आवेदन स्थल गैर आबादी में बताया है। अतः JPR-5-580 के अनुसार कनेक्शन साध्य नहीं है। अतः आप SFS में आवेदन करें।
- आवेदित स्थल पर मकान का कार्य निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आवेदन करें।
- उक्त स्कीम सम्पूर्ण कॉलोनी होने पर ही मान्य होगी।
- कनेक्शन चाहे गये भवन के प्रत्येक तल का क्षेत्र दर्शाते हुये कुल क्षेत्रफल का सत्यापित नक्शा एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट व प्रत्येक तल का अनुमानित विद्युत उपभोग का विवरण प्रस्तुत करें।
- उक्त एतराज दस्तावेज का 7 दिवस में स्पष्ट जवाब उपलब्ध करावें। अन्यथा उक्त पत्रावली निरस्त समझी जावेगी।

नोट:- पोल से मीटर तक सर्विस लाईन निगम द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

सहायक अभियन्ता (.....)
जयपुर डिस्कॉम,.....।